रजिस्ट्री सं. डी-(डी एन)—128/90 REGISTERED NO. D—(DN)—128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 28, 1990 (श्रावण 6, 1912)
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 28, 1990 (SRAVANA 6, 1912)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

लोक ऋण कार्यालय

बम्बई–400001-दिनांक 28 जुलाई 1990

सं० एल० एन०/विशेष–2/औद्योगिक वित्त निगम बांड—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का XV) के खंड 43 के अन्तर्गत बनायी गई औद्योगिक वित्त निगम (बांड निर्गम) विनियमावली, 1949 के विनियम 10 के अनुसरण में दिनांक 30 जून, 1990 को समाप्त होने वाली छः माहों के लिए गुम, नष्ट हुए आदि बांडों की निम्नलिखित सूची इसके साथ प्रकाशित की जा रही है, जिनके संबंध में प्रथमदृष्टया यह मानने के लिए आधार है कि वे बांड खो गए हैं और आवेदक का दावा न्यायसंगत है। जिन दावेदारों के नाम नीचे दिए गए हैं उससे भिन्न यदि किसी व्यक्ति को इन बांडों पर कोई भी दावा करना है, तो वे प्रबन्धक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लोक ऋण कार्यालय, बम्बई–400001 से तत्काल संपर्क करें। यह सूची दो भागों में विभाजित की गयी है। भाग "क"–उन प्रतिभूतियों

की सूची जिनका विज्ञापन पहली बार किया जा रहा है और भाग "ख" उन प्रतिभूतियों की सूची है जिनका विज्ञापन पहले किया जा चुका है।

बांड संख्या	मूल्य रुपये	निम्नलिखित के नाम पर जारी	निम्नलिखित दिनांक से ब्याज देय	चुकौती मूल्य के भुगतान के लिए दावेदार(रों) का/के नाम	जारी किये गए आदेशों की संख्या और दिनांक	प्रकाशन की वह तिथि जब प्रतिभूति का पहले उल्लेख किया गया था

सूची "क"

कोई नहीं

सूची "ख"

5-1/2 प्रतिशत औद्योगिक वित्त निगम बांड 1978

बीबाई-000635 बीबाई-000636	10,000/- 10,000/-	भारतीय रिज़र्व बैंक	27-9-76	दि ओरिएंटल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड	मामला सं० एल० 1684-संयुक्त प्रबंधक के दिनांक 19-3-86 के आदेश और केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं० 383—दिनांक 20-3-86	9-8-86

6 प्रतिशत औद्योगिक वित्त निगम बांड 1986

बीबाई 001808	5,000/-	भारतीय रिज़र्व बैंक	10-6-84	मुस्लिम को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, पूना	मामला सं०एल० 1880-संयुक्त प्रबंधक के दिनांक 25-7-86 के आदेश और केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं० 44-दिनांक 26-7-86	14-3-87

लेखा अधिकारी
लोक निर्माण कार्यालय
बम्बई

पी० आर० अनंतरामन,
प्रबन्धक

भारतीय स्टेट बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
बम्बई, दिनांक 27 जून 1990

सूचना

सं० एस बी डी/1946—भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 29 के निबंधनानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक आफ इन्दौर के निदेशक बोर्ड से परामर्श करके तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से डॉ० एम० के० सिन्हा के स्थान पर श्री सी० शिवशंकर को दिनांक 23 जून, 1990 से 31 मार्च, 1994 (दोनों दिन सम्मिलित) स्टेट बैंक आफ इन्दौर के प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

ह०/- अपठनीय
अध्यक्ष

इलाहाबाद बैंक
प्रधान कार्यालय
कलकत्ता-700001, दिनांक 21 जून 1990

सं० विधि/2/90—इलाहाबाद बैंक का निदेशक मंडल, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श और केन्द्रीय सरकार की पूर्व संस्वीकृति से एतद्द्वारा इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है।

2. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) ये विनियम इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1990 कहे जा सकेंगे।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3. (1) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा, 1979 के विनियम 3(2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा—

"वेतन" से अभिप्रेत मूल वेतन से है जिसमें प्रगति रोध वेतन वृद्धि भी शामिल है"।

(2) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम के विनियम 3(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा—

"सकल वेतन" में मूल वेतन और मंहगाई भत्ते का योग अभिप्रेत है।"

(3) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 4(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"1-2-1984 को और से अधिकारियों के निम्नलिखित चार ग्रेड होंगे और प्रत्येक ग्रेड के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान होंगे"—

(क) शीर्षस्थ कार्यपालक ग्रेड :

वेतनमान VII रु० 4,100/—125—4,600/-
वेतनमान VI रु० 3,850-125-4,350/-

(ख) वरिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड :

वेतनमान V रु० 3,575-100-3,685/-
115-3,800/-

वेतनमान IV रु० 2,925-105-3,450/-

(ग) मध्यम प्रबन्धन ग्रेड :

वेतनमान III रु० 2,650/—100—3,250/-
वेतनमान II रु० 1,825-100-2,925/-

(घ) कनिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड :

वेतनमान I रु० 1,175-60-1,475/-70-1,895-ब- रो०-95-2,275/-100-2,675/-.

1-11-1987 को और से निम्नवत प्रत्येक ग्रेड के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान होंगे :—

(क) शीर्षस्थ कार्यपालक ग्रेड :

वेतनमान VII रु० 6,400,-150-7,000/-
वेतनमान VI रु० 5,950-150-6,550/-

(ख) वरिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड :

वेतनमान V रु० 5,350-150-5,950/-
वेतनमान IV रु० 4,520-130-4,910/-
140-5,050-150-5,350/-

(ग) मध्यम प्रबन्धन ग्रेड :

वेतनमान III रु० 4,020-120-4,260/- 130 4,910/-

वेतनमान II रु० 3,060-120-4,260-130-4,390/-.

(घ) कनिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड :

वेतनमान I रु० 2,100-120-4,020/-

परन्तु विनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप वेतनमान में रखे गए प्रत्येक अधिकारी को जो नियम तारीख को प्रवृत्त वेतनमान द्वारा शासित है, सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप ऊपर दिए गए वेतनमान में रखा जाएगा।

(4) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा अधिनियम, 1979 के विनियम 5(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"1-11-1987 को और से, वेतनवृद्धि निम्नलिखित उप धारा के अनुरूप प्रदान की जाएगी" :—

(क) विनियम 4(1) में वर्णित वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति के अधीन, वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होगी और वह उस माह की पहली तारीख को प्रदान की जाएगी जिसमें वह देय होती है।

(ख) वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारियों को उनके संगत वेतनमानों में अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष बाद केवल नीचे (ग) में विनिर्दिष्ट अनुसार अगले उच्च वेतनमान में प्रगतिरोध वेतनवृद्धियों(यों) समेत, और वेतनवृद्धियां प्रदान की जाएंगी, बशर्ते कि उन्होंने दक्षता-रोध पार कर लिया हो।

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित अधिकारियों समेत, वे अधिकारी जो मध्यक प्रबन्धन ग्रेड वेतनमान II तथा III के अन्तिम चरण में पहुंच गए हैं, (क) सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष पूरे होने पर, यथास्थिति वेतनमान II तथा वेतनमान III के अन्तम चरण के अधिकारियों को अधिकतम ऐसी दो वेतनवृद्धियां दी जाएंगी जिसमें प्रत्येक 130 रुपए की होंगी तथा ऐसी एक वेतनवृद्धि वेतनमान III के अन्तिम चरण में पहुंचे अधिकारी को दी जाएगी जो 140 रुपए की होगी।

नोट :—अगले उच्च वेतनमान में, ऐसी वेतनवृद्धियां प्रदान करने का अभिप्राय पदोन्नति नहीं होगा, यहां तक कि अधिकारी ऐसी वेतनवृद्धियां प्राप्त करने के बाद भी यथास्थिति अपने मूल I वेतनमान I या वेतनमान II के विशेषाधिकार, अनुलाभ प्राप्त करते रहेंगे तथा कर्त्तव्य, दायित्व करते रहेंगे या पद पर बने रहेंगे।

(5) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 5(2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"सीएआईआईबी परीक्षा का प्रत्येक भाग उत्तीर्ण करने पर वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी जाएगी"।

1-11-1987 को और से, जो अधिकारी वेतनमान में अधिकतम पर पहुंचता है या पहुंच चुका है और जो पदोन्नति के अलावा वेतन में और कोई वृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता उसे सरकारी दिशानिर्देशों के अधीन, यदि कोई हो, सीएआईआईबी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अतिरिक्त वेतनवृद्धि के बदले निम्नवत् व्यावसायिक अर्हता भत्ता दिया जाएगा :—

जिन्होंने सीएआईआईबी का केवल भाग-I उत्तीर्ण किया है	एक वर्ष के बाद प्रतिमाह 100/- रु० जिनमें से 75/- रु० वार्धक्य निवर्तन लाभों हेतु रखे जाएंगे।
जिन्होंने सीएआईआईबी के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हैं	(1) एक वर्ष बाद 100/- रु० प्रतिमाह जिनमें से 75/- रु० वार्धक्य निवर्तन लाभों हेतु रखे जाएंगे। (2) दो वर्ष के बाद 250/- रु० प्रतिमाह, जिनमें से 200/- रु० वार्धक्य निवर्तन हेतु रखे जाएंगे

नोट : यदि कोई अधिकारी जो व्यावसायिक अर्हता भत्ता प्राप्त कर रहा है, अगले उच्च वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है तो उसका ऐसे अगले उच्च वेतनमान में नियतन किया जाएगा और उस वेतनमान में सीए आई आई बी उत्तीर्ण करने के लिए अतिरिक्त वेतनवृद्धि (यों) प्रदान की जाएगी, यदि उस वेतनमान में उसे वेतनवृद्धि दी जा सकती होगी, और उस वेतनमान में और वेतन-वृद्धियां उपलब्ध नहीं है, या उस वेतनमान में केवल एक वेतनवृद्धि ही दी जा सकती है, तो अधिकारी वेतनवृद्धि (यों) के स्थान पर व्यावसायिक अर्हता भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा।

(6) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"1-11-1987 को और से, मंहगाई भत्ता योजना निम्नवत होगी"—

(I) अखिल भारतीय औसत कर्मकार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) जिसका आधार 1960-100 है, के तिमाही औसत में 600 पाइंटों से प्रत्येक 4 पाइंटों के उतार या चढ़ाव हेतु मंहगाई भत्ता देय होगा।

(II) मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दरों के अनुसार देय होगा—

(i) 1650/ रु० तक वेतन का 0.67 प्रतिशत जमा

(ii) 1650/- रु० से ऊपर और 2835/- रु० तक वेतन का 0.55 प्रतिशत जमा

(iii) 2835/- रु० से ऊपर और 4040/- रु० तक वेतन का 0.33 प्रतिशत जमा

(iv) 4020/- रु० से अधिक वेतन का 0.17 प्रतिशत

7(क) इलाहबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 22(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"1-11-1987 को और से, जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवास दिया जाता है वहां उस वेतनमान के जिसमें उसे रखा गया है, प्रथम प्रक्रम के वेतन का 6 प्रतिशत या आवास के लिए मानक किराया इनमें से जो भी कम हो उससे वसूल किया जाएगा"।

(ख) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 22(2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"1-11-1987 को और से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवास सुविधा नहीं प्रदान की गई है तो वह निम्नलिखित दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा"—

जहां कार्य स्थल निम्नांकित जगहों पर है	देय मकान किराया भत्ता निम्नांकित होगा
(i) सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर "क" वर्ग के बड़े शहरों के रूप में निर्दिष्ट शहर तथा समूह "क" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 14 प्रतिशत अधिकतम 375/- रु० तक
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान और समूह "ख" में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 12 प्रतिशत अधिकतम 300/- रु० तक
(iii) क्षेत्र II तथा राज्यों की राजधानियां तथा संघ शासित राज्यो की राजधानियां जो उपर्युक्त (i) तथा (ii) में शामिल न हों।	वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम 250/- रु० (i) तक
(iv) क्षेत्र III	वेतन का 8 प्रतिशत अधिकतम 225/- रु० तक

किन्तु यदि कोई अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता उस वेतनमान के

प्रथम चरण में, जिसमें उसे रखा जाता है, वेतन के 6 प्रतिशत से अधिक उसके आवास के लिए उसके द्वारा प्रदत्त वास्तविक किराया होगा किन्तु यह अधिकतम अन्यथा देय अधिकतम मकान किराया भत्ते का 160 प्रतिशत होगा।

(ग) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 के विनियम 22 (3) और उसके स्पष्टीकरण (1) (क), (ख), के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा

"जहाँ कोई अधिकारी अपने स्वयं के आवास में रहता है, वहां वह उसी आधार पर मकान किराया भत्ते का पात्र होगा जो उप विनियम (2) के परन्तुक में उल्लिखित है, मानो वह नीचे दिए गए "क" या "ख" में से उच्चतर के 12 वें भाग के बराबर राशि का मासिक किराए के रूप में संदाय कर रहा हो -

—क—

निम्नलिखित का योग:—

(I) निवास स्थान की बाबत संदेय नगरपालिका कर, और

(II) भूमि की लागत सहित आवास की पूंजीगत लागत का 12 प्रतिशत तथा यदि वह आवास भवन का एक हिस्सा है तो उस आवास से संबंद्ध भूमि की पूंजीगत लागत का समानुपातिक अंश, वातानुकूलक जैसे विशेष फिक्सचर, छोड़कर या

—ख—

निवास स्थान के नगरपालिका निर्धारण हेतु लिया गया वार्षिक किराया मूल्य स्पष्टीकरण :—

(1) इस विनियम के प्रयोग के "मानक किराया" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) ऐसे निवास स्थान के मामले में जो बैंक के स्वामित्व में है, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार परिकलित मानक किराया जो सरकार में ऐसे परिकलन के लिए प्रचलित है,

(ख) जहाँ निवास स्थान बैंक ने किराए पर लिया है, वहां बैंक द्वारा संदेय संविदागत किराया।

8 (क) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 के विनियम 23 (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"1-11-1987 को और से, यदि वह नीचे दी गई सारणी के कॉलम 1 में वर्णित किसी स्थान पर सेवा कर रहा है तो कॉलम 2 में उस स्थान के सामने वर्णित दर पर नगर प्रतिपूरक भत्ता दिया जाएगा परन्तु यह कि पणजी और मर्मगाओं के शहरी समूह से इतर गोवा राज्य के उन स्थानों पर, जहां 1-11-1987 को भत्ता देय नहीं था, नगर प्रतिपूरक भत्ता 20-08-1988 से देय होगा"।

स्थान	दर
(क) क्षेत्र 1 और गोवा राज्य के स्थान	मूल वेतन का 6½ % अधिकतम 220/- रु० प्रतिमाह
(ख) 5 लाख तथा उससे अधिक की जनसंख्या वाले स्थान तथा राज्यों की राजधानियां एवं चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्टब्लेयर जो उपर्युक्त (क) में नहीं आते	मूल वेतन का 4 अधिकतम 135 रु० प्रतिमाह

(ख) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 197 के विनियम 23 (v) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"1-1-1987 को और से, यदि कोई अधिकारी बैंक से बाहर प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह जिस पद पर प्रतिनियुक्त है उस पद से संबंधित परिलब्धियां प्राप्त करना चुन सकता है। विकल्पतः वह अपने वेतन के अतिरिक्त, वेतन पर 12 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता अधिकतम 700/- रु० तथा ऐसे अन्य भत्ते जो वह उस स्थान पर बैंक की सेवा में पदस्थ होने पर लेता, ले सकता है।

परन्तु यह कि यदि वह ऐसे प्रतिष्ठान में प्रतिनियुक्त है जो उसी स्थान पर अवस्थित है जहां वह अपनी प्रतिनियुक्ति से ठीक पूर्व पदस्थ था, तो वह अपने वेतन के 6 प्रतिशत के बराबर और अधिकतम 350/- रु० प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करेगा।

परन्तु यह भी कि बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में संकाय सदस्य के रूप में या बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड में प्रतिनियुक्त पर कोई भी अधिकारी अपने वेतन का 6 प्रतिशत, और अधिकतम 350/- रु० प्रतिनियुक्त भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा।

(ग) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 23 (vi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए -

"11-1-1987 को और से, यदि किसी उच्चतर वेतनमान के किसी पद पर कार्य करने की उससे अपेक्षा की जाती है तथा उसकी अनवरत अवधि एक बार में 7 दिनों से कम नहीं है अथवा एक कैलेण्डर माह के दौरान कुल 7 दिन है, तो उस अवधि हेतु जिसके लिए वह स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है उसे अपने वेतन के 6 प्रतिशत के बराबर स्थानापन्न भत्ता प्राप्त होगा किन्तु यह राशि 250/- रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी। स्थानापन्न भत्ता भविष्य

निधि के प्रयोजनार्थ वेतन के रूप में माना जाएगा, अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं" ।

किन्तु यह कि यदि कोई अधिकारी विनियम 5 के अंतर्गत केवल पदों के वर्गीकरण की समीक्षा के स्वरूप उच्चतर वेतनमान के पद पर कार्य करने लिए जाता है तो वह वर्गीकरण की समीक्षा प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि हेतु स्थानापन्न भत्ते का पात्र न होगा।

(घ) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 के विनियम 23 (vii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

वित्त वर्ष 1989-90 में और से, यदि वह ऐसी शाखा में पदस्थ है जहां 31 मार्च और 30 सितम्बर को बहियां बन्द की जाती हैं, वहां दो लेखा बन्दियों में से प्रत्येक लेखा-बन्दी के लिए 150/- रु० लेखाबन्दी (क्लोजिंग) भत्ता दिया जाएगा ।

(ङ) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम के विनियम 23(X) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"1–11–1987 की और से, यदि वह नीचे दी गई सारणी के कॉलम 1 में उल्लिखित स्थान पर सेवारत है तो उसके कालम 2 में उल्लिखित दर पर पहाड़ और ईंधन भत्ता दिया जायेगा"

सारणी

स्थान	दर
(i) 100 मीटर और अधिक किन्तु 1500 मीटर से कम ऊँचाई वाले स्थान और मेरकारा कस्बा	वेतन का 5 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 130/- रु०
(ii) 1500 मीटर और अधिक किन्तु 3000 मीटर से कम उँचाई वाले स्थान	वेतन का 6½ प्रतिशत किन्तु अधिकतम 160/- रु०
(iii) 3000 मीटर और अधिक उँचाई वाले स्थान	वेतन का 15 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 600/- रु०

नोट :

(क) कोई अधिकारी ऐसे किसी स्थान पर पदस्थ है जहां 750 मीटर से कम उँचाई नहीं है, और जो अपेक्षाकृत ज्यादा उँची पहाड़ियों से घिरा है तथा जहां 1000 मीटर या अधिक की उँचाई पार किये बिना नहीं पहुंचा जा सकता है, उन्हें उसी दर पर पहाड़ और ईंधन भत्ता दिया जायेगा जिस दर पर 1000 मीटर या अधिक की उँचाई वाले स्थानों पर दिया जाता है।

(ख) यदि इस समय किसी ऐसे स्थान पर पहाड़ और ईंधन भत्ता दिया जा रहा है जो उपर्युक्त वर्गीकरण में नहीं आता, तो वह भत्ता नहीं दिया जायेगा 1-11-1987 और 30-4-1989 के बीच पहले ही दिये जा चुके भत्ते वापस नहीं लिये जायेंगे। 1 मई, 1989 से केवल पुराने प्रावधानों के अन्तर्गत उन अधिकारियों के मामले में, जो उस केन्द्र पर उस तारीख को या उसके पहले पदस्थ थे, 30 अप्रैल 1989 को प्रदत्त भत्ते की प्रमात्रा दी जाती रहेगी जब तक वे उस वेतनमान में और उस केन्द्र पर पदस्थ रहेंगे।

9(क) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 24(1)(क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

"प्रत्येक अधिकारी अपनी और अपने परिवार की बाबत अपने द्वारा वास्तव में खर्च किये गये चिकित्सा खर्च की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिये पात्र होगा", अर्थात्

(क) चिकित्सा खर्च

1–11–1987 की ओर से, नीचे दी गई सारणी कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट वेतन वर्ग में किसी अधिकारी और उसके परिवार के चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति स्वयं अधिकारी के इस प्रमाणपत्र के आधार पर की जायेगी कि उसने इस पर खर्च किया, जिसके समर्थन स्वरूप दावाकृत रकमों के लिये लेखा विवरण दिया जायेगा, प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा सारणी के कालम 2 में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी—

सारणी

वेतन वर्ग	प्रतिपूर्ति सीमा प्रतिवर्ष
2,100/- रु० से 3,600/- प्रतिमाह	600/- रु०
3,061/- रु० प्रतिमाह और अधिक	800/- रु०

नोट :

कोई अधिकारी अनुपयुक्त चिकित्सा सहायता को संचित कर सकता है किन्तु यह संचित राशि किसी भी स्थिति में, ऊपर उल्लिखित अधिकतम राशि की तीन गुणा राशि से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजन के लिये, किसी अधिकारी का परिवार केवल पति/पत्नी, पूर्णतया आश्रित सन्तान और पूर्णतया आश्रित माता-पिता से मिलकर बनेगा ।

9(ख) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 24(1)(ख)(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा—

"1-4-1989 की ओर से, अस्पताल में भर्ती प्रभारों की किसी अधिकारी के मामले में 90% और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 60% तक उन मामलों में प्रतिपूर्ति की जायेगी जिनमें अस्पताल में भर्ती किया जाना अपेक्षित है।

9(ग) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 24(1)(ख)(v) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा—

"1-4-1989 की ओर से निम्नलिखित बीमारियों की बाबत, जिनका इलाज घर पर किये जाने की जरूरत है जैसा कि मान्यता प्राप्त अस्पताल प्राधिकारी और बैंक का चिकित्सा अधिकारी प्रमाणित करे, होने वाले चिकित्सा खर्च को अस्पताल में भर्ती का खर्च माना जायेगा और इसकी अधिकारी के मामले में 90% और उसके परिवार के सदस्य के मामले में 60% तक प्रतिपूर्ति की जायेगी:—

कैंसर, तपेदिक, लकवा, हृदय रोग, ट्यूमर, चेचक, फुफुसावरण-शोथ, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, गुरदा रोग।

10. इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा—

"1-11-1987 को ओर से, कोई भी अधिकारी अधिकार के रूप में, बैंक द्वारा निवास स्थान पर दिये जाने का हकदार नहीं होगा किन्तु बैंक अधिकारी द्वारा अपने उस वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के प्रथम प्रक्रम के वेतन का 6% निवास स्थान का मानक किराया इनमें से जो भी कम हो, का संदाय करने पर निवास स्थान की व्यवस्था करेगा। परन्तु यह भी कि यदि ऐसे स्थान में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है तो बैंक द्वारा वेतनमान के प्रथम प्रक्रम में वेतन के 1½ प्रतिशत के बराबर राशि वसूल की जायेगी। यह भी कि जहां बैंक ने ऐसे निवास स्थान की व्यवस्था की है वहां विद्युत, जल, गैस, और सफाई के लिये प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किये जायेंगे।"

(11) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 34(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा—

"1-1-1989 को ओर से, प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक पूरे वर्ष की सेवा के लिये 30 दिन की बीमारी की छुट्टी का पात्र होगा, किन्तु यह सम्पूर्ण सेवा के दौरान अधिकतम 18 महीने होगी। ऐसी छुट्टी 540 दिन तक संचित की जा सकेगी और बैंक को स्वीकार्य या बैंक के विवेकानुसार, उसके द्वारा अपने खर्च पर नामित चिकित्सक द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही ली जा सकेगी।

(2) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 41(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा—

"25-3-1990 की ओर से, जब कभी किसी अधिकारी से ड्यूटी पर यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है तब निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे—

(i) कनिष्ठ प्रबन्धक ग्रेड का कोई अधिकारी रेल द्वारा प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित स्लीपर में यात्रा कर सकेगा। तथापि, कारोबार की आवश्यकताओं या जनहित को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जाये तो वह विमान (किफायती श्रेणी) द्वारा यात्रा कर सकेगा।

(ii) मध्यम प्रबन्धन ग्रेड का कोई अधिकारी रेल द्वारा प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित स्लीपर में यात्रा कर सकेगा। तथापि, यदि यात्रा की दूरी 600 कि० मी० से अधिक है तो वह विमान (किफायती श्रेणी) से यात्रा कर सकेगा। तथापि, दूरी कम होने पर भी यदि कारोबार की आवश्यकताओं या जनहित को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा दी जाये तो वह विमान (किफायती श्रेणी) से यात्रा कर सकेगा।

(iii) वरिष्ठ प्रबन्धन या शीर्षस्थ कार्यपालक ग्रेड का अधिकारी वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या विमान (किफायती श्रेणी) में से यात्रा कर सकेगा।

(iv) वरिष्ठ प्रबन्धन या शीर्षस्थ कार्यपालक ग्रेड का अधिकारी विमान या रेल से न जुड़े स्थानों के बीच कार द्वारा यात्रा कर सकेगा बशर्ते कि वह दूरी 500 कि० मी० से अधिक न हो। तथापि, जब दो स्थानों के बीच दूरी के अधिकांश भाग को यात्रा केवल विमान या रेल द्वारा की जा सकती है तो शेष दूरी की यात्रा सामान्यतः कार द्वारा की जानी चाहिये।

(13) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 42(2)(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा—

"(i) 1-11-1987 को ओर से, अधिकारी के स्थानान्तरण होने पर उसे मालगाड़ी द्वारा अपने समान परिवहन के लिये किये गये खर्च की निम्नलिखित सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

वेतन वर्ग	जहां उसका परिवार है	जहां उसका परिवार नहीं है
	कि० ग्राम	कि० ग्राम
2,100/- रु० से 3,060/- रु० प्रतिमाह	3000	1000
3,061/- रु० प्रतिमाह और अधिक	पूरा बैगन	2000

14. इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम, 45(2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा—

"समय-समय पर भविष्य निधि को शासित करने वाले नियमों के अनुसार, बैंक भविष्य निधि में अंशदान करेगा किन्तु बैंक द्वारा किये जाने वाले अंशदान की राशि 1-11-87 से 31-12-88 की ओर से अधिकारी वेतन के 80 प्रतिशत के 10 प्रतिशत, 1-1-1989 से 31-12-1989 की ओर से वेतन के 90 प्रतिशत के 10 प्रतिशत और 1-1-199 की ओर से वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

15. इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 46(2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा

"किसी अधिकारी को संदेय उपदान की राशि सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिये एक माह का वेतन किन्तु अधिक से अधिक 15 माह का वेतन होगी।

परन्तु यह कि यदि किसी अधिकारी ने सेवा के 30 वर्ष से अधिक वर्ष पूरे कर लिये हैं तो वह तीस वर्षों के बाद सेवा अवधि के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिये मासिक वेतन की आधी दर पर अतिरिक्त राशि उपदान के रूप में प्राप्त करने के पात्र होंगे।

टिप्पणी:—सेवा के पूरे वर्षों से अधिक सेवा की कोई अवधि छह महीने या उसके अधिक है, तो उसके लिये समानुपातिक आधार पर उपदान दिया जायेगा।

एम० आर० सर्वाधिकारी
महाप्रबन्धक

दी इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इन्डिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 10 जुलाई 1990

सं० 13—सी० ए० (परीक्षा)/एन/90:—चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगूलेशन 1988 के रेगुलेशन 22 के अनुसार दि कॉसिल आफ दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस आफ इण्डिया को नोटिफाइ कराने में प्रसन्नता है कि एन्ट्रेन्स, इन्टरमीडियेट और फाइनल की परीक्षायें निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों पर होगी बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिये पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी उपस्थित होते हैं।

एन्ट्रेन्स परीक्षा : 1, 3, 5 और 6 नवम्बर, 1990

इन्टरमीडियेट परीक्षा

ग्रुप I : 1, 3, 5 और 6 नवम्बर, 1990

ग्रुप II : 7, 8 और 9 नवम्बर, 1990

फाइनल परीक्षा :

ग्रुप I : 1, 3, 5 और 6 नवम्बर, 1990

ग्रुप II :—7, 8 9 और 10 नवम्बर, 1990

परीक्षा केन्द्र :

1. आगरा
2. अहमदाबाद
3. इलाहाबाद
4. अम्बाला
5. बंगलौर
6. बड़ौदा
7. बैलगांव
8. भोपाल
9. बम्बई
10. कलकत्ता
11. कालीकट
12. चण्डीगढ़
13. कोयम्बटूर
14. कटक
15. दिल्ली/नई दिल्ली
16. इरनाकुलम
17. गोहाटी
18. हिसार
19. हैदराबाद
20. इन्दौर
21. जयपुर
22. जम्मू
23. जोधपुर
24. कानपुर
25. काठमांडु (नेपाल)**
26. लखनऊ
27. लुधियाना
28. मद्रास
29. मदुराई
30. मंगलौर
31. मेरठ
32. मैसूर
33. नागपुर
34. नासिक
35. पटना
36. पूना
37. रायपुर
38. सलेम
39. सूरत
40. तिरुचिरापल्ली
41. त्रिचूर
42. त्रिवेन्द्रम
43. उदयपुर

**काठमांडु (नेपाल) केन्द्र पर केवल इन्टरमीडियेट और फाइनल की परीक्षायें होगी।

44. विजयवाड़ा
45. विशाखापटनम
46. यमुनानगर

परीक्षा शुल्क की राशि इंस्टीट्यूट के सचिव के पक्ष में जारी डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भेजी जानी चाहिये। उम्मीदवारों की सुविधा के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया की उल्लिखित शाखाओं में विशेष खाता खोला गया है और परीक्षा शुल्क की अदायगी भारत में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की उल्लिखित शाखाओं में की जा सकती है।

परिषद अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को बिना कोई कारण दिये रद्द कर सकती है।

उक्त परीक्षाओं के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्रों पर ही दिया जाना चाहिए, जो परीक्षा समिति, इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया के सचिव के इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 5 रूपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। उपयुक्त प्रमाण पत्रों और शुल्क के साथ डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान पर्ची काउन्टर फाइल लगाकर आवेदन पत्र इस प्रकार भेजा जाना चाहिय कि वह सचिव परीक्षा समिति के कार्यालय में 3-9-1990 तक पहुंच जाए। आवेदन पत्र सचिव परीक्षा समिति के दिल्ली कार्यालय में 3-9-1990 के बाद 10-9-1990 तक 50/- रुपये विलंम्ब शुल्क के साथ भी स्वीकार किये जायेंगे। 10-9-1990 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जायगा। आवेदन पत्र सचिव कार्यालय में स्वयं भी आकर दिया जा सकता है या रीजनल काउन्सिलों जैसे बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कानपुर, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद और पूना के कार्यालयों में 3-9-1990 तक जमा कराया जा सकता है। इन नगरों में रहने वाले उम्मीदवारों को इस सुविधा का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है।

विभिन्न परीक्षाओं के लिए देय शुल्क इस प्रकार है :—

एन्ट्रैन्स परीक्षा	रु० 150/-
इन्टरमीडियट परीक्षा	
केवल एक ग्रप के लिये	रु० 150/-
दोनों ग्रुपों के लिये	रु० 225/-
फाइनल परीक्षा	
केवल एक ग्रप के लिये	रु० 175/-
दोनों ग्रुपों के लिये	रु० 250/-
विशेष वर्ग (केवल पर्चा 4 या 5) :	रु० 100/-
विशेष वर्ग (केवल पर्चा 4 और 5)	रु० 175/-

कांठमांडु (नेपाल) केन्द्र से बैठने वाले उम्मीदवारों को रु० 300/- या इसके सममूल्य की नेपाली मुद्रा का शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे इन्टरमीडियट/फाइनल परीक्षा के एक पेपर, एक ग्रप या दो ग्रुपों में बैठ रहे हों।

हिन्दी में उत्तर लिखने की एच्छिकता

एन्ट्रेन्स, इन्टरमीडियट और फाइनल परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम से भी देने की सुविधा दी जाती है। विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न सूचना पत्र में उपलब्ध है।

के० कल्याणारमन,
सचिव (परीक्षा समिति) एंव
वरिष्ठ उप-सचिव (परीक्षा)

क्षेत्रीय कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

गुवाहाटी-21, दिनांक 15 मार्च, 1990

सं० 43-बी-34/11/75-स्था० गुवाहाटी—यह अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 10-क के अन्तर्गत असम क्षेत्र में धुबरी के लिए इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या ई-17/10 दिनांक 21 फरवरी, 1979 द्वारा गठित स्थानीय समिति का निम्न प्रकार पुनर्गठन किया गया है :—

अध्यक्ष	
विनियम 10-क(1)(क) के अन्तर्गत	सहायक श्रम आयुक्त, धुबरी, जिला धुबरी।
सदस्य	
विनियम 10-क(1)(ख) के अन्तर्गत	मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी धुबरी, जिला धुबरी।
विनियम 10-क(1)(ग) के अन्तर्गत	प्रशासलिक चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, असम, गुवाहाटी-20 या उसके द्वारा नामित कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी।
विनियम 10-क(1)(घ) के अन्तर्गत	(1) श्री भास्कर चटर्जी, निदेशक, मैसर्स धुबरी, प्लाइवुड फैक्टरी, मिशन रोड, धुबरी, (2) श्री डी० के शर्मा, क्षेत्रीय कार्मिक प्रबन्धक, मैसर्स लिमकों लिमिटेड धुबरी, एमको रीजन।

विनियम 10–क(1)(ङ) के अन्तर्गत	(1) श्री इब्राहिरम खान, जनरल सेक्रटरी एमको श्रमिक संघ, एमको रोड, धुबरी। (2) श्री हेमन्त बरकलीता, अध्यक्ष, विनको श्रमिक परिषद, डाकखाना एमको रोड, धुबरी।
सचिव	
विनियम 10–क(1)(च) के अन्तर्गत	प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, धुबरी।

बी० सी० भारद्वाज,
क्षेत्रीय निदेशक ।

भारतीय भेषजी परिषद

नई दिल्ली–110002, दिनांक 10 जुलाई 1990

फाईल संख्या- 17/1/90-पी०सी०आई०/2135-2275— भारतीय भेषजी परिषद के 24 मार्च 1990 को सम्पन्न हुए 50वें अधिवेशन में पारित निम्नलिखित संकल्पों को भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 15 में विहित प्रावधानों के तहत राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है ।

आन्ध्र प्रदेश

प्रस्ताव संख्या 50/पी०सी०आई०/699—(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप–धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित इन्टरमीडिएट (वोकेशनल) कोर्स इन फार्मेसी (डिप्लोमा इन फार्मेसी) पाठयक्रम का इन्टरमीडिएट (वोकेशनल) कोर्स इन फार्मेसी (डिप्लोमा इन फार्मेसी) की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम आन्ध्र प्रदेश में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
ए० एस० आर० गर्वमेन्ट जूनियर कालेज, खम्मम	20	1990-91
बी० वी० के० जूनियर कालेज, विशाखापटनम	20	1987–88 से 1990–91

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद, बोर्ड आफ इन्टरमीडिएट एजुकेशन, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में इन्टरमीडिएट (वोकेशनल) कोर्स इन फार्मेसी (डिप्लोमा इन फार्मेसी) परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

आन्ध्र प्रदेश

प्रस्ताव संख्या 50/पी० सी० आई०/700— "(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप–धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठयक्रम का डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम आन्ध्र प्रदेश में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
राजकीय पॉलीटेक्निक हैदराबाद	60	1991–92
राजकीय महिला पॉली–टेक्निक गुन्टूर	30	1991–92
राजकीय महिला पॉली–टेक्निक काकीनाडा	40	1990–91
राजकीय महिला पॉली–टेक्निक वारंगल	30	1991–92
एस०वी० राजकीय पॉलीटेक्निक तिरुपति	30	1989–90
राजकीय महिला पोली–टेक्निक हिन्दूपुर	30	1985–86 से 1989–90

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप–धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद, स्टेट बोर्ड आफ टेक्निकल एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषज के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

गुजरात

प्रस्ताव संख्या 50/पी० सी० आई०/701—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा 12 (1) में विहित प्रावधानों

के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम गुजरात में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
ए० आर० कालेज आफ फार्मेसी एवं जी० एच० पटेल इंस्टिट्यूट आफ फार्मेसी, वल्लभ विद्यानगर	30	1990-91

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुरसण में भारतीय भेषजी परिषद, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ-विद्यानगर, गुजरात द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषज के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

गुजरात

प्रस्ताव संख्या 50/पी०सी०आई०/702—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम गुजरात में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
एल० एम० कालेज आफ फार्मेसी अहमदाबाद	120	1992-93

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद, गुजरात विश्वविद्यालय, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

हरियाणा

प्रस्ताव संख्या 50/पी० सी० आई०/703—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम हरियाणा में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
महिला पॉलीटेक्निक कन्या गुरुकुल खानपुर कलां	40	1988-89 से 1989-90

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद, बोर्ड आफ टेक्निकल ऐजुकेशन, हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषज के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

कर्नाटका

प्रस्ताव संख्या 50/पी० सी० आई०/704—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रवधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा थार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी, की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिये उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के सन्दर्भ में अनुमोदित घोषित करती है।

संस्था का नाम कर्नाटक में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
1	2	3
विश्वेस्वरपुरा इंस्टिट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल साइसेंस, बंगलौर	60	1990-91
बासवेश्वर स्कूल आफ फार्मेसी बागलकोट	60	1990-91
विवेकानन्द इंस्टिट्यूट आफ फार्मेसी, राजाजीनगर बंगलौर	60	1990-91
एम० जे० एम० कालेज आफ फार्मेसी चित्रदुर्गा	40	1991-92

1	2	3
एस० ई० एस० कालेज आफ फार्मेसी सिरगुप्पा	40	1991-92
श्री सिद्धगंगा कालेज आफ फार्मेसी तुमकूर	40	1984-85 से 1989-90
एम० जे० आर० ई० सोसाइटी स्कूल आफ फार्मेसी, रेस कोर्स रोड बंगलौर	60	1991-92
श्री वासवी फार्मेसी कालेज बेलरी	40	1991-92
बी० ई० एस० इंस्टिटयूट आफ फार्मेसी बंगलौर	40	1985-86 से 1989-90
लोगारी वीरामल्लापा मेमोरियल कालेज आफ फार्मेसी, बेलरी	40	1985-86 से 1989-90
अनुपमा कालेज आफ फार्मेसी, महा लक्ष्मीपुरम, बंगलौर	40	1989-90
अल जमीन कालेज आफ फार्मेसी बंगलौर	60	1991-92
पी० ई० एस० कालेज आफ फार्मेसी हनुमन्त नगर, बंगलोर	60	1991-92
सेन्ट जान कालेज आफ फार्मेसी बंगलौर	60	1991-92

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद, बोर्ड ऑफ एग्जामिनिंग ऑथारिटी, मार्फत ड्रगस कन्ट्रोलर फार दी स्टेट ऑफ कर्नाटका, बंगलौर द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषज के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये एक अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

केरल

प्रस्ताव संख्या 50/पी० सी० आई०/705—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिये उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के सन्दर्भ में अनुमोदित घोषित करती है।

संस्था का नाम केरल में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
फातिमा कालेज आफ फार्मेसी क्वीलन	120	1990-91
टी० डी० मेडिकल कालेज एलेप्पी	35	1990-91
कालेज आफ फार्मेसी सिसी अस्पताल एरनाकुलम	30	1992-93

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद, बोर्ड ऑफ डी० फार्म एग्जामिनेशन, आफिस आफ डायरेक्टर आफ मेडिकल एजुकेशन, त्रिवेन्द्रम, द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषज रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

महाराष्ट्र

प्रस्ताव संख्या 50/पी० सी० आई०/706—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिये उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के सन्दर्भ में अनुमोदित घोषित करती है।

संस्था का नाम महाराष्ट्र में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय पूना	40	1990-91

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद, महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषज के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

महाराष्ट्र

प्रस्ताव संख्या 50/पी० सी० आई०/707—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित

परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिये उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के सन्दर्भ में अनुमोदित घोषित करती है।

संस्था का नाम महाराष्ट्र में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
ए० एस० पी० एम० डिप्लोमा इन फार्मेसी इंस्टिट्यूट, ओस्मानाबाद	60	1990–91
ए० आई० टी० इंस्टिट्यूट आफ फार्मेसी, मालेगांव	60	1991–92
पदमश्री डा० विट्ठल राव पाटिल इंस्टिट्यूट टेक्नोलोजी एण्ड इंजीनियरिंग (पॉलीटेक्निक) पॉरवार नगर	60	1991–92
लोकमान्य तिलक महाविद्यालय, वाणी	60	1990–91
इंस्टिट्यूट आफ डिप्लोमा इन फार्मेसी, बोरगांव	60	1991–92
राजजी नाइक इंस्टिट्यूट आफ फार्मेसी, बीबी	30	1989–90
कालेज आफ फार्मेसी, सोलापुर	60	1990–91

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद, प्रावधिक परीक्षा परिषद, महाराष्ट्र, बम्बई द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती ''

उड़ीसा

प्रस्ताव संख्या 50/पी०/सी० आई०/708—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिये उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के सन्दर्भ में अनुमोदित घोषित करती है।

संस्था का नाम उड़ीसा में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
डिमार्टमेंट आफ फार्मेसी, सीमान्त महाविद्यालय, बारपोखरिया	40	1990–91
सिद्धेश्वर कालेज आफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, अमरदा रोड, बालासोर	40	1990–91
कालेज आफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, बरहमपुर	60	1990–91
कनक मन्जरी इंस्टिट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल साईंसेस, राउरकेला	60	1989–90
बी० एस० एस० मेडिकल कालेज, बुरला	40	1986–87 से 1989–90
कालेज आफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस पुरी	40	1986–87 से 1988–89
इंस्टिट्यूट आफ फार्मेसी एण्ड टेक्नोलोजी, खालीपुर	40	1990–91

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद, उड़ीसा राज्य फार्मेसी परिषद न्यू नन्दनकानन रोड, पी० ओ० सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।''

पंजाब

प्रस्ताव संख्या 50/पी०/सी० आई०/709—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिये उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के लिये सन्दर्भ में अनुमोदित घोषित करती है।

संस्था का नाम पंजाब में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
लोगोंवाल कालेज आफ फार्मेसी डेरावस्सी	60	1986–87 से 1989–90
जी० एच० जी० खालसा कालेज आफ फार्मेसी, गुरूसर सदर	60	1990–91
गवर्नमेंट रणबीर कालेज, संगरूर	40	1986–87 से 1987–88
राजकीय महिला पॉलीटेक्निक जालन्धर	30	1989–90
एन० जी० एस० ए० गवर्नमेंट कालेज, कपूरथला	40	1986–87 से 1987–88

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद, डायरेक्टर आफ टेक्निकल एजुकेशन एण्ड इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग (टेक्निकल एजुकेशन विंग) पंजाब, चण्डीगढ़ द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।''

पंजाब

प्रस्ताव संख्या 50/पी०/सी० आई०/710—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिये

उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के सन्दर्भ में अनुमोदित घोषित करती है।

संस्था का नाम पंजाब में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
एस० डी० कालेज, बरनाला	60	1990-91

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।"

उत्तर प्रदेश

प्रस्ताव संख्या 50/पी०/सी० आई०/711—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिये उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के सन्दर्भ में अनुमोदित घोषित करती है।

संस्था का नाम उत्तर प्रदेश में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
राजकीय पॉलीटैक्निक, लखीमपुरखेरी	40	1990-91
जनता पॉलीटेक्निक, जहांगीराबाद	40	1986-87 से 1990-91

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।"

पांडिचेरी

प्रस्ताव संख्या 50/पी०/सी० आई०/612—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 22 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिये उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के सन्दर्भ में अनुमोदित घोषित करती है।

संस्था का नाम पांडिचेरी में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
पांडिचेरी कॉमुनिटी पॉलीटेक्निक पांडिचेरी	40	1986-87 से 1990-91

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद, प्राविधिक शिक्षा परिषद, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिय अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।"

राजस्थान

प्रस्ताव संख्या 50/पी०/सी० आई०/413—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के सन्दर्भ में अनुमोदित घोषित करती है।

संस्था का नाम राजस्थान में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
भूपाल नोबलस कालेज डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, उदयपुर	60	1990-91
लाचू मेमोरियल कालेज ऑफ साइंसेस जोधपुर	60	1990-91

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद, विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिय अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।"

तमिलनाडु

प्रस्ताव संख्या 50/पी०/सी० आई०/714—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखिण संस्थाओं द्वारा संचालित

डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के सन्दर्भ में अनुमोदित घोषित करती है।

संस्था का नाम तमिलनाडु में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
पेरियार कालेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस फार गर्ल्स, तिरूचिरापल्ली	60	1990-91
कोयम्बटूर कालेज आफ फार्मेसी, इरोड	40	1986-87 से 1990-91
अल्ड्रा कालेज ऑफ फार्मेसी, मदुरई	120	1991-92
कोयम्बटूर मेडिकल कालेज, कोयम्बटूर	60	1991-92
के० एम० आर० कालेज, ऑफ फार्मेसी पेरूनदूरई	60 (और सिर्फ 1987-88 सत्र में सीधे द्वितीय वर्ष में 60)	1987-88 से 1989-90
एम० एम० एस० फार्मेसी, कालेज मायर तिरूवत्तर जिला कन्याकुमारी	60	1989-90
विनायक मिशन कालेज ऑफ फार्मेसी, सालेम	120	1991-92
अन्टार्कटिका कालेज ऑफ फार्मेसी, तिरूनेलवेली,	60	1991-92
एस० ए० राजा फार्मेसी, कालेज, अदकंगुलम	60	1991-92

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद, बोर्ड ऑफ एग्जामिनरस फार डिप्लोमा इन फार्मेसी, मार्फत, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, तलिनाडु, मद्रास द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

गुजरात

प्रस्ताव संख्या 50/पी० सी० आई०/715—(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं वर्ष की समाप्ति से पूर्व पूर्व नामांकित छात्रों के सन्दर्भ में अनुमोदित घोषित करती है।

संस्था का नाम गुजरात	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	वर्ष समाप्ति के पूर्व तक अनुमोदित
भगवान लाल के० मोदी गवर्नमेंट फार्मेसी कालेज, राजकोट	30	1991-92

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद सोराष्ट्रा विश्वविद्यालय, राजकोट द्वारा आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदत परीक्षा घोषित करती है।"

गुजरात

प्रस्ताव संख्या 50/पी० सी० आई०/716—(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखत संस्थाओं द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम की, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिय उनके सामने अंकित संख्या एवं वर्ष की समाप्ति से पूर्व नामांकित छात्रों के सन्दर्भ में अनुमोदित घोषित करती है।

संस्था का नाम गुजरात में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	वर्ष समाप्ति के पूर्व तक अनुमोदित
ए० आर० कालेज, ऑफ फार्मेसी, वल्लभविद्यानगर	30	1991-92

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभविद्यानगर द्वारा आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को' इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिय अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।"

कर्नाटका

प्रस्ताव संख्या 50/पी० सी० आई० 717 (1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिये

उनके सामने अंकित संख्या एवं वर्ष की समाप्ति से पूर्व नामांकित छात्रों के सन्दर्भ में अनुमोदित घोषित करती है।

संस्था का नाम कर्नाटक में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	वर्ष समाप्ति के पूर्व तक अनुमोदित
विश्वेस्वरपुरा इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, बंगलौर	40	1984–85 से 1990–91

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर द्वारा आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।"

महाराष्ट्र

प्रस्ताव संख्या 50/पी०/सी० आई०/718—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम की, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं वर्ष की समाप्ति से पूर्व नामांकित छात्रों के सन्दर्भ में अनुमोदित घोषित करती है।

संस्था का नाम महाराष्ट्र में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	वर्ष समाप्ति के पूर्व तक अनुमोदित
बॉम्बे कालेज आफ फार्मेसी, बॉम्बे	60	1992–93
डिपार्टमेंट आफ केमिकल टेक्नोलॉजी, बम्बई विश्वविद्यालय बम्बई	20	1991–92

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई द्वारा आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।"

तमिलनाडु

प्रस्ताव संख्या 50/पी०/सी० आई/719—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिये उनके सामने अंकित संख्या एवं वर्ष की समाप्ति से पूर्व नामांकित छात्रों के सन्दर्भ में अनुमोदित घोषित करती है।

संस्था का नाम तमिलनाडु में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	वर्ष समाप्ति के पूर्व तक अनुमोदित
जे० एस० एस० कालेज, ऑफ फार्मेसी, उटाकमंड	50	1991–92

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 का (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद डा० एम० जी० आर० मेडिकल विश्वविद्यालय, मद्रास द्वारा आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्जित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।"

तमिलनाडु

प्रस्ताव संख्या 50/पी/सी० आई०/720—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम, की डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं वर्ष की समाप्ति से पूर्व नामांकित छात्रों के सन्दर्भ में अनुमोदित घोषित करती है।

संस्था का नाम तमिलनाडु में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	वर्ष समाप्ति के पूर्व तक] अनुमोदित
विश्वविद्यालय इंस्टिट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलोजी, अन्नामलाई नगर	60	1991–92

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नालाई नगर द्वारा आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।"

देवेन्द्र कुमार जैन,
सेक्रटरी-कम-रजिस्ट्रार

श्रम मंत्रालय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली–110001, दिनांक 07 जुलाई 1990

सं० 2/1959/डी० एल० आई०/एक्जम/89/भाग–1/3559—जहां मैसर्स कैडिला केमिकल्स प्रा० लि०, 291, जी० आई० डी० सी० इण्डस्ट्रियल इस्टेट, अंकलेश्वर–393002,

डिस्ट्रिक्ट बारूच, गुजरात । (कोड सं०: जी० जे०/3993) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसमें पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत-सरकार की अधिसूचना सं० एस-35014 (256) 85/एस०एस० II, दिनांक 25-11-1985 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी० एन० सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना को और अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 25-11-88 से 28-2-1990 तक लागू होगा । जिसमें यह तिथि 28-2-90 शामिल है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य

निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक दावेदार/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक दावेदारों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक दावेदारों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-I/3549—जहां मैसर्स पियूर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) मोहन सिंह बिल्डिंग, कनाट लेन, नई दिल्ली-110001 (कोड संख्या डी. एल./1091) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 1(952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस-35014 (3)84/पी.एफ. ।। एस.एस. ।। तिथि 24-8-87 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए, मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 11-2-90 से 28-2-90 तक लागू होगा । जिसमें यह तिथि 28-2-90 भी शामिल है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों की प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय, तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं० 2/1959/डी०एल०आई०/एक्जाम/89/भाग-1/3544—जहां अनसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी० एन० सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित अनुसूची-I पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 28-02-1990 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं।

क्षेत्र मध्य प्रदेश

अनुसूची-I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मैसर्स ग्वालियर आयल मिल्स, 37 शिवनाथ कैम्प, इन्दौर, (म० प्र०)	एम० पी०/327	1-1-1989
2.	मैसर्स प्रीमियर ब्रास एण्ड मैटल मैटल वर्क्स प्रा० लि० 8, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, गोविन्दपुरा, भोपाल (म० प्र०)	एम० पी०/1516	1-12-1987
3.	मैसर्स जैम्सन्स लेब्रोट्रीज, 43, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, इन्दौर-3 (म० प्र)	एम० पी०/1537	1-10-1988
4.	मैसर्स बयोरा पी० बी० कैबनकोन, मैन्यूफैक्चरिंग कं० प्रा० लि०, 17-18, पोलो ग्राउण्ड, इन्दौर (एम० पी०)	एम० पी०/1649	1-1-1989
5.	मैसर्स मध्य प्रदेश इलैक्ट्रीकल्स लि० डी-सैक्टर, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल (म० प्र०)	एम० पी०/1702	1-3-1988
6.	मैसर्स भिण्ड सहकारी भूमि विकास बैंक, मर्यादित हाउसिंग कालोनी, भिण्ड-477001 (म० प्र०)	एम० पी०/1855	1-8-1988
7.	मैसर्स सहकारी कार्य संस्थान, शिक्षा विभाग, एम० पी० मर्यादित 89, नगर, निगम रोड, इन्दौर-452002 (म० प्र०)	एम० पी० /4744	1-7-1988
8.	मैसर्स शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 136, आर्यसमाज रोड शिवपुर, (म० प्र०)	एम० पी०/4945	1-3-1988
9.	मैसर्स राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक स्टेशन रोड, राजगढ़ (म० प्र०)	एम० पी०/4976	1-4-1988
10.	मैसर्स ज्योति रबर इंजीनियर्स ई-32, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल (म० प्र०)	एम० पी०/5077	1-3-1988
11.	मैसर्स सत्यम इण्डस्ट्रीय, ई-39, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गोविन्दपुरा भोपाल (म० प्र०)	एम० पी०/5113	1-3-1988
12.	मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लि०, 4-ए, रतलाम कोठी, ए० बी० रोड, इन्दौर (म० प्र०)	एम० पी०/5814	1-8-1988

अनुसूची II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की

भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ भगाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख से भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं० 2/1459/डी०एल०आई०/एक्जम/89/भाग-I/3554—जहां मैसर्स एन० जी० ई० एफ० लि० बैंक, आफ बड़ौदा बिल्डिंग 5वीं मंजिल, 16 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-1 (कोड सं० डी० एल० 4519) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा है)

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना सं० एस०-35014/276/83/पी० एफ० II एस० एस० II तिथि 24-3-87 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी० एन० सोम उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जो दिनांक 24-12-89 से 28-2-1990 तक लागू होगा । जिसमें यह तिथि 28-2-1990 भी शामिल है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन

किया जाय, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारी को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं० 2/1959/डी० एल० आई०/एक्जम/89-भाग-1/3579—जहां मैसर्स हरिहर पोलिफाईबरस, कुमार-पट्नम धारवाड़ डिस्ट्रीक-581128 (कोड सके एन०/5334), ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम को अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल में हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना सं० एस-35014 (160)/85/एस० एस०-II, दिनांक 10-6-1985 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी० एन० सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना को और अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 10-6-88 से 28-2-90 तक लागू होगा । जिसमें यह तिथि 28-2-90 भी शामिल है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं० 2/1959/डी०एल० आई०/एक्जम/ 89/भाग—1/3584 —जहां मैसर्स सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि०, एन० पी० कैम्पस हील साइड रोड, नई दिल्ली—12 (कोड सं० डी० एल०/3687) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस—35014 (60) 84/एफ० पी० जी०, दिनाक 11—7—1984 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी०एन० सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना को और अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 11—7—1987 से 28—2—1990 तक लागू होगा। जिसमें यह तिथि 28—2—90 भी शामिल है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी को विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं० 2/1959/डी० एल० आई०/एक्जम/89/भाग—1/3574—जहां मैसर्स ज्ञान सिंह कट्टयाक्टर, वैशाली नगर, प्राईवेट क्वार्टर्स, भिलाई (म० प्र०) (कोड सं०: एम० पी०/2113) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना सं० एस०—35014 (229) 85/एस० एस०—IV, दिनांक 8—11—1985 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी० एन० सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना को और अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 8—11—88 से 28—02—1990 तक लागू होगा। जिसमें यह तिथि 28—02—90 भी शामिल है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी

के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

दिनांक 12 जुलाई 1990

सं० 2/1959/ डी०एल० आई०/एक्जाम/89/भाग–1/3672 मैसर्स अग्रवाल इंडस्ट्रीज जोधपुर राजस्थान (कोड नं० राज/4095) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है, (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी०एन० सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी तिथि 1-12-88 से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत छील प्रदान की है, 28–02–1990 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ घटाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित

पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम्प/89—भाग-1/3677—मैसर्स सी.एम.सी. (इण्डिया) प्रा. लि., ओधव रोड, अहमदाबाद-382415 (कोड संख्या जी. जे./3601-ए) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, वी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान यह प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, वी० एन० सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त गुजरात ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 1-3-88 से 28-02-1990 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट देता हूं ।

4—169 GI/90

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना

पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

दिनांक 13 जुलाई 1990

सं० 2/1959/डी०एल०आई०/एक्जम/89/भाग-1-13693—मैसर्स गिलडिया लि०, 50 हाईड रोड़, कलकत्ता-700088 (कोड संख्या डब्ल्यू० बी० 1860) जो कि पहले ग्लेक्सो इण्डिया के नाम से जानी जाती थी ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस० 35014 252/ (83) (पी० एफ० 11) एस० एस०-11, दिनांक 29-01-1987 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी० एन० सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 24-12-1989 से 28-02-1990 तक लागू होगा । जिसमें यह तिथि 28-02-1990 भी शामिल है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम को, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिशों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिशों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं० 2/1959/डी० एल० आई० / एक्जम/ 89/भाग–1–3683–मैसर्स दी कमर्शियल राइस मिल्स त्रिचूर केरल (कोड 5 संख्या के० आर०/790 और 790 ए) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी० एन० सोम, उक्त स्थापना को उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से 01-3-1988 उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, केरल ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 28-02-1990 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिश/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का

संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं० 2/1959/डी० एल० आई० / एक्जम / 89 / भाग–1-3688––मैसर्स दीइण्डियन सुगर एण्ड जनरल इंजीनियरिंग कारपोरेशन, प्रौप० दि सरस्वती इण्डस्ट्रियल सिंडीकेट लि०, पो० आ० यमुना नगर, रेलवे स्टेशन जगाधरी (जिला अम्बाला) (पी० एन०/161) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी० एन० सोम, उक्त स्थापना को उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट देता हूं । जो दिनांक 01–11–1986 से 31–10–1989 तक लागू है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक भाग की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ घटाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का

संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

RESERVE BANK OF INDIA

PUBLIC DEBT OFFICE

BOMBAY-400 001, the 28th July 1990

No. LN/SPL-2/I.F.C. Bonds—In pursuance of Regulation 10 of Industrial Finance Corporation (Issue of Bonds) Regulations 1949 framed under Section 43 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (XV of 1948) the following list for the half-year ended 30th June 1990 of I.F.C.I. Bonds lost, destroyed etc. in respect of which prima facie grounds exist for believing that the Bonds have been lost and that the claim of the applicant is just, is hereby published. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these Bonds should communicate immediately with the Manager, Reserve Bank of India, Bombay 400 001.

2. The list is divided into two parts Part 'A' being the list of securities advertised for the first time and Part 'B' the list of securities previously advertised.

Bond No.	Value in Rs.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for payment of discharge value	No. and date of orders issued	Date of publication of the list in which the security was first published
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		LIST 'A'				
		NIL				
		LIST 'B'				
		5½% I.F.C. Bonds, 1978				
BY 000635 BY 000636	10,000/- 10,000/-	Reserve Bank of India	27-9-1976	The Oriental Insurance Company Limited	Case No. L-1684 Jt. Manager's Order dated 19th March, 1986 and C.O. Diary No. 383 dated 20th March 1986	9-8-1986
		6% I.F.C. Bonds, 1986				
BY 001808	5,000/-	Reserve Bank of India	10-6-1984	The Muslim Co-operative Bank Ltd., Poona.	Case No. L-1880 Jt. Manager's Order dated 25th July 1986 and C.O. Diary No. 44 dated 26th July 1986	14-3-1987

Accounts Officer
Public Debt Office
Bombay

P. R. ANANTHARAMAN
Manager

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 27th June 1990

NOTICE

No. SBD/1946.—In terms of Section 29 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of the State Bank of Indore and with the approval of the Reserve Bank of India, have appointed Shri C. Shivashankar as Managing Director of the State Bank of Indore as from the 23rd June 1990 to the 31st March 1994 (both days inclusive) vice Dr. M. K. Sinha.

Sd/- ILLEGIBLE
Chairman

ALLAHABAD BANK

HEAD OFFICE

Calcutta-700 001, the 21st June 1990

No. Legal/2/90.—In exercise of the Powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Allahabad Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979.

2. Short title and commencement :—

(1) These regulations may be called the Allahabad Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1990;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. (1) The Regulation 3 (k) of the Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979 shall be substituted by the following :—

"Pay means basic pay including stagnation increment"

(2) The Regulation 3 (1) of the Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979 shall be substituted by the following :—

" 'Salary' means the aggregate of the pay and dearness allowance"

(3) The Regulation 4(1) of the Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979 shall be substituted by the following :—

"On and from 1.2.1984, there shall be the following four grades for officers with the scale of pay specified against each of the grades :—

(a) Top Executive Grade :

Scale VII Rs. 4,100/—Rs. 125/—Rs. 4,600/-.

Scale VI Rs. 3,850/—Rs. 125/—Rs. 4,350/-.

(b) Senior Management Grade :

Scale V Rs. 3,575/—Rs. 110/—Rs. 3,685/—Rs. 115/—Rs. 3,800/-.

Scale IV Rs. 2,925/—Rs. 105/—Rs. 3,450/-.

(c) Middle Management Grade :

Scale III Rs. 2,650/—Rs. 100/—Rs. 3,250/-.

Scale II Rs. 1,825/—Rs. 100/—Rs. 2,925/-.

(d) Junior Management Grade :—

Scale I Rs. 1,175/—Rs. 60/—Rs. 1,475/—Rs. 70/—Rs. 1,895/—EB Rs. 95/—Rs. 2,275/—Rs. 100/—Rs. 2,675/-.

On and from 1-11-1987, the scales of Pay specified against each grade shall be as under :—

(a) Top Executive Grade :—

Scale VIII Rs. 6,400/—Rs. 150/—Rs. 7,000/-.

Scale VI Rs. 5,950/—Rs. 150/—Rs. 6,550/-.

(b) Senior Management Grade :

Scale IV Rs. 5,350/—Rs. 150/—Rs. 5,950/-.

Scale IV Rs. 4,520/—Rs. 130/—Rs. 4,910/—Rs. 140/—Rs. 5,050/—Rs. 150/—Rs. 5,350/-.

(c) Middle Management Grade :

Scale III Rs. 4,020/—Rs. 120/—Rs. 4,260/—Rs. 130/—Rs. 4,910/-.

Scale II Rs. 3,060/—Rs. 120/—Rs. 4,260/—Rs. 130/—Rs. 4,390/-.

(d) Junior Management Grade :

Scale I Rs. 2,100/—Rs. 120/—Rs. 4,020/-.

Provided that every officer who is governed by the Scale of Pay as in force on the appointed date having been fitted into the said scale of pay in accordance with the guidelines of the Government issued under Regulation 8, shall be fitted in the Scale of Pay set out above in accordance with the guidelines of Government."

(4) The Regulation 5(1) of Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979 shall be substituted by the following :—

"On and from 1-11-1987, the increment shall be granted subject to the following sub-clause:—

(a) The increments specified in the Scales of Pay set out in Regulation 4(1) shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.

(b) Officers in Scale I and Scale II, one year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar.

(c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II and Scale III as the case may be subject to a maximum of two such increments of Rs. 130/- each for officers in the last stage of Scale II and one such increments of Rs. 140/- for officers in the last stage of Scale III.

NOTE : Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or post of their substantive Scale I or Scale II as the case may be".

(5) The Regulation 5(2) of Allahabad Bank (Officers') Service Regulation, 1979 shall be substituted by the following :—

"An additional increment shall be granted in the Scale of Pay for passing each part of CAIIB Examination.

On and from 1-11-1987 Officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move

further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIIB Examination as under : —

Those who have passed only Part I of CAIIB.	Rs. 100/- per month after one year, of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.
Those who have passed both Parts of CAIIB.	(i) Rs. 100/- per month after one year, of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.
	(ii) Rs. 250/- per month after two years, of which Rs. 200/- shall rank for superannuation benefits.

NOTE : If an officer who is in receipt of Professional Qualification Allowance is promoted to next higher Scale, he shall be granted, an fitment into such higher scale, additional increment(s) for passing CAIIB to the extent increments are available in the Scale and if no increments are available in the Scale or only one increment is available in the Scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Allowance in lieu of increment(s)."

(6) The Regulation 21 of Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979 shall be substituted by the following :—

On and from 1-11-1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under :—

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 Points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index General) Base 1960=100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—

(i) 0.67% of 'Pay' upto Rs. 1,650/- plus.

(ii) 0.55% of 'Pay' above Rs. 1,650/- to Rs. 2,835/- plus.

(iii) 0.33% of 'Pay' above Rs. 2,835/- to Rs. 4,020/- plus.

(iv) 0.17% of 'Pay' above Rs. 4,020/-.

7(a) The Regulation 22(1) of the Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979 shall be substituted by the following :—

"On and from 1-11-1987, where an officer is provided with residential accommodation by the bank, 6% of the Pay in the first stage of the Scale of Pay in which he is placed or the standard rent for the whichever is less, will be recovered from him."

(b) The Regulation 22(2) of the Allahabad Bank (Officers') Service Regulation, 1979 shall be substituted by the following :

"On and from 1-11-1987, where an Officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the following rates :

	Where the place of work is in	House Rent allowance payable
	(1)	(2)
(i)	Major 'A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government and Project Area Centres in Group 'A'.	14% of the Pay subject to a maximum of Rs. 375/-.
(ii)	Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'.	12% of the Pay subject to a maximum of Rs. 300/-.
(iii)	Area II and State Capitals of Union Territories not covered by (i) & (ii) above.	10% of the Pay subject to a maximum of Rs. 250/-.
(iv)	Area III . . .	8% of the Pay subject to a maximum of Rs. 225/-.

Provided that if an Officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 6% of the Pay in the first stage of the scale of Pay in which he is placed, with a maximum of 160% of the maximum House Rent Allowance payable otherwise."

(c) The Regulation 22(3) and its Explanations the (1) (a) (b) of Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979 shall be substituted by the following :—

"Where an Officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to sub-regulation (2) as if he was paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of A or B below :—

— A —

The Aggregate of :—

(i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation and

(ii) 12% of the Capital Cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the Capital Cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners or

— B —

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation.

Explanation :—

(1) For the purpose of this Regulation "Standard Rent" means :—

(a) In the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government;

(b) Where accommodation has been hired by the Bank, contractual rent payable by the Bank."

(8)(a) The Regulation 23(i) of Allahabad Bank (Officers') Service Regulation, 1979 shall be substituted by the following :—

"On and from 1-11-1987, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in Column 2 thereof against that place, provided that the City Compensatory Allowance at places in the State of Goa other than urban agglomeration of Panaji and Marmagao, where it was not payable on 1-11-1987 shall be payable with effect from 20-8-1988.

	Places	Rates
(a)	Places in Area I and in the State of Goa.	6-1/2% of basic pay subject to a maximum of Rs. 220/- per month.
(b)	Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 135/- per month.

(b) The Regulation 23(v) of Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979 shall be substituted by the following :

"On and from 1-11-1987, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed. Alternatively, he may in addition to his pay, draw a deputation allowance of 12% of pay maximum Rs. 700/- and such other allowances as he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place.

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation he shall receive a deputation allowance equal to 6% of his pay, maximum 350/-".

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member or to Banking Service Recruitment Board shall be eligible for deputation allowance at 6% of his pay maximum Rs. 350/-".

(c) The Regulation 23(vi) of Allahabad Bank (Officers') Service Regulation, 1979 shall be substituted by the following :

"On and from 1-11-1987 if he is required to officiate in a post in a higher scale for continuous period of not less than 7 days at a time or an aggregate of 7 days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay, subject to a maximum of Rs. 250/- per month for the period for which be officiates Officiating allowance will rank as pay purposes of Provident Fund and not for other purposes.

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under Regulation 6, he shall not be eligible for the Officiating Allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect."

(d) The Regulation 23(vii) of Allahabad Bank (Officers') Service Regulation, 1979 shall be substituted by the following :

"On and from financial year 1989-90 if he is posted at a branch where books are closed on 31st March and 30th September a closing allowance of Rs. 150/- for each of the two closings."

(e) The Regulation 23(x) of Allahabad Bank (Officers') Service Regulation, 1979 shall be substituted by the following :

"On and from 1-11-1987, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the table below, a hill and fuel allowance at the rate mentioned in column 2 thereof :—

TABLE

	Place	Rate
(i)	Place with an altitude of 100 metres and above but less than 1500 metres and Metropolitan Town.	5% of pay subject to a maximum of Rs. 130/-.
(ii)	Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres.	6-1/2% of pay subject to a maximum of Rs. 160/-.
(iii)	Place with an altitude of 3000 metres and above.	15% of pay subject to a maximum of Rs. 600/-.

NOTE

(a) Officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, will be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centres with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn. The allowance already paid between 1-11-1987 and 30-4-1989 shall not be recovered. From 1st May, 1989 onwards the quantum of allowance paid as on 30th April 1989 under the old provisions alone shall be protected in the case of officers posted at that centre on or before that date till the time they remain posted at that centre in the same scale of pay."

(9) (a) The Regulation 24(1)(a) of the Allahabad Bank (Officers') Service Regulation, 1979 shall be substituted by the following :

'An Officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely :

(a) Medical Expenses :

On and from 1-11-1987 reimbursement of medical expenses of an officer in the pay range specified in column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in column 2 thereof :

TABLE

Pay Range	Re-imbursement Limit per annum
(1)	(2)
Rs. 2,100/- to Rs. 3,600/- p.m.	Rs. 600/-
Rs. 3,061/- p.m. and above	Rs. 800/-

NOTE

An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

Explanation :

"FAMILY" of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(9) (b) The Regulation 24(1)(b)(i) of Allahabad Bank (Officers') Service Regulation, 1979 shall be substituted by the following :

"On and from 1-4-1989, hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 90% in the case of an officer and 60% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation."

(9) (c) The Regulation 24(1)(b)(v) of Allahabad Bank (Officers') Service Regulation, 1979 shall be substituted by the following :

"On and from 1-4-1989, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 90% in the case of an officer and 60% in the case of his family members :—

Cancer, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Tumour, Small Pox, Pleuresy, Diphtheria, Leprosy, Kidney Ailment.

(10) The Regulation 25 of the Allahabad Bank (Officers') Service Regulation, 1979 shall be substituted by the following :

"On and from 1-11-1987 no officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank. It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation on payment by the officer of 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less. Provided that a further sum equal to 1 1/2% of pay

in the first stage of the scale of pay will be recovered by the Bank from officer if furniture is provided at such residence. Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer."

(11) The Regulation 34(i) of the Allahabad Bank (Officers') Service Regulation, 1979 shall be substituted by the following :

"On and from 1-1-1989, an officer shall be eligible for 30 days of sick leave for each completed year of service subject to a maximum of 18 months during the entire service. Such leave can be accumulated upto 540 days during the entire service and may be availed of only on production of medical certificates by a medical practitioner acceptable to the Bank or at the Bank's discretion nominated by it at its cost.

(12) The Regulation 41(1) of Allahabad Bank (Officers') Service Regulation, 1979 shall be substituted by the following :

"On and from 25-3-1990 the following provisions shall apply whenever an officer is required to travel on duty :—

(i) An Officer in Junior Management Grade may travel by 1st Class or AC Slepper by train. He may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(ii) An Officer in Middle Management Grade may travel by 1st Class or AC Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 500 Kms. He may, however, travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 500 Kms. He may however, travel by air (economy class) even for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority having regard to the exigencies of business or public interests

(iii) An Officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by train AC 1st Class or by air (economy class).

(iv) An Officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 Kms. However, when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car.

(13) The Regulation 42(2)(i) of Allahabad Bank (Officers') Service Regulation, 1979 shall be substituted by the following :

"(i) On and from 1-11-1987 an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits :

Pay Range	Where he has family	Where he has no family
Rs. 2,100/- p.m. to Rs. 3,060/- p.m.	3000 kgs.	1000 Kgs.
Rs. 3,061/- p.m. and above.	Full Wagon	2000 Kgs.

(14) The Regulation 45(2) of Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979 shall be substituted by the following :

"The Bank shall contribute to the Provident Fund in accordance with the rules governing the Provident Fund, from time to time, provided that the amount contributed by it shall not be more than 10% of 80% of pay on and from 1-11-11987 to 31-12-1988, 10% to 90% of pay on and from 1-1-1989 to 31-12-1989 and 10% of pay on and from 1-1-1990, of the officers."

5—169GI/90

(15) The Regulation 46(2) of Allahabad Bank (Officers') Service Regulation, 1979 shall be substituted by the following :—

"The amount of Gratuity payable to an officer shall be one month's pay for every completed year of service, subject to maximum of 15 months' pay.

Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of Gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond thirty years.

NOTE : If the fraction of service beyond completed years of service is six months or more, gratuity will be paid pro-rata for the period."

M. R. SARBADHIKARI
General Manager

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110 002, the 10th July 1990

No. 13-CA(Exam). N/90.—In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Entrance, Intermediate and Final Examinations will be held on the dates given below at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre :—

Entrance Examination

1st, 3rd, 5th and 6th November 1990.

Intermediate Examination

Group I : 1st, 3rd, 5th and 6th November 1990.

Group II : 7th, 8th and 9th November 1990.

Final Examination

Group I : 1st, 3rd, 5th and 6th November 1990.

Group II : 7th, 8th, 9th and 10th November 1990.

Centres

1. AGRA
2. AHMEDABAD
3. ALLAHABAD
4. AMBALA
5. BANGALORE
6. BARODA
7. BELGAUM
8. BHOPAL
9. BOMBAY
10. CALCUTTA
11. CALICUT
12. CHANDIGARH
13. COIMBATORE
14. CUTTACK
15. DELHI/NEW DELHI
16. ERNAKULAM
17. GAUHATI
18. HISSAR
19. HYDERABAD
20. INDORE
21. JAIPUR
22. JAMMU
23. JODHPUR
24. KANPUR
25. KATHMANDU (NEPAL)
26. LUCKNOW
27. LUDHIANA
28. MADRAS
29. MADURAI

30. MANGALORE
31. MEERUT
32. MYSORE
33. NAGPUR
34. NASIK
35. PATNA
36. POONA
37. RAIPUR
38. SALEM
39. SURAT
40. TIRUCHIRAPALLI
41. TRICHUR
42. TRIVANDRUM
43. UDAIPUR
44. VIJAYAWADA
45. VISAKHAPATNAM
46. YAMUNA NAGAR.

The Intermediate and Final Examination only will be held at Kathmandu (Nepal).

Payment of fees for the examination should normally be made by Demand Draft payable at New Delhi and drawn in favour of Secretary to the Institute. However, for the convenience of candidates, special accounts have been opened in certain specified branches of the State Bank of India and payment of fees for the examinations can be made in cash into these special accounts at these specified branches of the State Bank of India in India.

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reasons.

Applications for admission to these examinations are required to be made on the relevant prescribed form, copies of which may be obtained from the Secretary, Examination Committee, The Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi-110 002 on payment of Rs. 5/- per application form.

Applications together with the necessary certificates and the prescribed fees by Demand Draft or the counterfoils of the pay-in-slips issued by the State Bank of India against deposits of examination fee, may be sent so as to reach the Secretary of the Examination Committee at New Delhi not later than 3rd September 1990. However, application forms will also be received direct by Delhi office after 3rd September 1990 upto 10th September 1990 with late fee of Rs. 50/-. Applications received after 10th September 1990 shall not be entertained. Applications will also be received by hand delivery at the office of the Institute at New Delhi and at the Regional and Branch offices of the Institute at Bombay, Calcutta, Madras, Kanpur, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad and Poona upto 3rd September 1990 (inclusive).

Candidates residing in these cities are advised to take advantage of this facility.

The fees payable for the various examinations are as under :—

ENTRANCE EXAMINATION :	Rs 150/-
INTERMEDIATE EXAMINATION :	
For One Group Only	Rs. 150/-
For both Groups	Rs. 250/-
FINAL EXAMINATION :	
For ONE Group Only	Rs. 175/-
For both Groups	Rs. 250/-
Special Category (Paper 4 or 5)	Rs. 100/-
Special Category (Papers 4 & 5)	Rs. 175/-

Candidates opting for Kathmandu (Nepal) Centre are required to remit Rs. 300/- or its equivalent Nepal currency irrespective of whether the candidates appear in a single paper, in a group or both groups.

Option to Answer Papers in Hindi

Candidates of Entrance, Intermediate and Final Examinations will also be allowed to use the Hindi Medium for answering papers. Detailed information will be found printed in the information sheets attached to relevant application form.

K. KALYANARAMAN
Secretary
Examination Committee &
Sr. Deputy Secretary (Exams.)

REGIONAL OFFICE

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Guwahati-21, the 15th March 1990

No. 43-V.34/11/75-Estt.—It is heereby notified that the Local Committee set up vide this Office Notification No. E.17/6 dated 21st, February, 1979 for Guwahati in Assam Region under Regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 has been re-constituted as follows :

CHAIRMAN	
Under Regulation 10-A(1)(a) .	Asstt. Labour Commissioner, Guwahati.
MEMBERS	
Under Regulation 10-A(1)(b)	The Chief Medical & Health Officer, Distt. Kamrup, Guwahati-20.
Under Regulation 10-A(1)(c) .	The Administrative Medical Officer, ESI Scheme, Assam, Guwahati-20 or any other medical officer nominated by him.
Under Regulation 10-A(1)(d) .	(1) Shri Kalyan Bora, General Manager, ASCOON, Bamunimaidan Guwahati-21.
	(2) Shri P. N. Choudhary, Sr. Personnel Officer, Assam Carbon Product Ltd. Birkuchi, Guwahati-26.
Under Regulation 10-A(1)(e) .	(1) Shri Deben Bhattacharjee, C/o—CITU Office, Ananda Ram Baruah Rd., Pan Bazar.
	(2) Shri R. P. Mishra, Secretary, Build Worth Workers Union, G. S. Road, Dispur, Guwahati-5.
SECRETARY	
Under Regulation 10-A(1)(f)	The Manager, Local Office, ESI Corpn., Guwahati-21.

By order :

B. C. BHARDWAJ
Regional Director

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

New Delhi-110 002, the 10th July 1990

No. 17-1/90-PCI/2135-2275.—The following resolutions passed by the Pharmacy Council of India at its 50th meeting held on 24th March, 1990 are published hereunder as required under section 15 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948) namely :—

Resolution No. 50-PCI/699 Andhra Pradesh

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the

Pharmacy Council of India declares the Intermediate (Vocational) course in Pharmacy (Diploma in Pharmacy) conducted by the institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Intermediate (Vocational) course in Pharmacy (Diploma in Pharmacy) in respect of the number of students and academic session as specified hereunder :

Name of Institutions in Andhra Pradesh	For admissions limited to	Approved upto academic session
1	2	3
A. S. R. Govt. Junior College, Khammam.	20	1990-91
B. V. K. Junior College, Visakhapatnam.	20	1987-88 to 1990-91

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Intermediate (Vocational) course in Pharmacy (Diploma in Pharmacy) examination held by the Board of Intermediate Education, Andhra Pradesh, Hyderabad during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

Resolution No. 50-PCI/700 Andhra Pradesh

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by the institutions mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of Institutions in Andhra Pradesh	For admissions limited to	Approved upto academic session
1	2	3
Govt. Polytechnic, Hyderabad.	60	1991-92
Govt. Polytechnic for Women, Guntur.	30	1991-92
Govt. Polytechnic for Women, Kakinada.	40	1990-91
Govt. Polytechnic for Women, Warrangal.	30	1991-92
S. V. Govt. Polytechnic, Tirupati.	30	1989-90
Govt. Polytechnic for Women, Hindupur.	30	1985-86 to 1989-90

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the State Board of Technical Education & Training, Andhra Pradesh, Hyderabad during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

Resolution No. 50-PCI/701 Gujarat

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by the institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of Institution in Gujarat	For admissions limited to	Approved upto academic session
A. R. College for Pharmacy & G. H. Patel Institute of Pharmacy Vallabh Vidyanagar	30	1990-91

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Sardar Patel University Vallabh Vidyanagar, Gujarat during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

Resolution No. 50-PCI/702 Gujarat

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by the institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of Institution in Gujarat	For admissions limited to	Approved upto academic session
L. M. College of Pharmacy, Ahmedabad.	120	1992-93

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Gujarat University, Navarangpura, Ahmedabad, Gujarat during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

Resolution No. 50-PCI/703 Haryana

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by the institution/s mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of Institutions in Haryana	For admissions limited to	Approved upto academic session
Mahila Polytechnic Kanya Gurukul, Khanpurkalan.	40	1988-89 to 1989-90

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Board of Technical Education,

Haryana, Chandigarh during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

Resolution No. 50-PCI/704 Karnataka

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by the institution/s mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of Institutions in Karnataka	For admissions limited to	Approved upto academic session
1	2	3
Visweswarapura Institute of Pharmaceutical Sciences, Bangalore.	60	1990–91
Basaveshwar School of Pharmacy Bagalkot.	60	1990–91
Vivekananda Institute of Pharmacy, Rajaji Nagar, Bangalore.	60	1990–91
S. J. M. College of Pharmacy, Chitradurga.	40	1991–92
S. E. S. College of Pharmacy, Siruguppa.	40	1991–92
Sree Siddaganga College of Pharmacy, Tumkur.	40	1984–85 to 1989–90
S. J. R. E. Society's School of Pharmacy, Race Course Road, Bangalore.	60	1991–92
Sri Vasavi Pharmacy College, Bellary	40	1991–92
B. E. S. Institute of Pharmacy, Bangalore.	40	1985–86 to 1989–90
Togari Veeramallappa Memorial College of Pharmacy, Bellary	40	1985–86 to 1989–90
Anupama College of Pharmacy, Mahalaxmipuram, Bangalore.	40	1989–90
Al-Ameen College of Pharmacy Hosur Road, Bangalore.	60	1991–92
P. E. S. College of Pharmacy, Hanumanthnagar, Bangalore.	60	1991–92
St. John College of Pharmacy, Bangalore.	60	1991–92

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Board of Examining Authority C/o. Drugs Controller, Palace Road, Bangalore, Karnataka during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

Resolution No. 50-PCI/705 Kerala

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by the institution/s mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of Institutions in Kerala	For admissions limited to	Approved upto academic session
1	2	3
Fatima College of Pharmacy, Quilon	120	1990–91
T. D. Medical College, Alleppy	35	1990–91
College of Pharmacy, Lisie Hospital, Eranakulam	30	1992–93

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Board of D. Pharm. Exams., Office of Directorate of Medical Education, Trivendrum during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as pharmacist under the said Act.

Resolution No. 50-PCI/706 M.S.

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by the institution/s mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of Institution in M. S.	For admissions limited to	Approved upto academic session
Armed Forces Medical College Poona	40	1990–91

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Maha Nideshak Sashastra Sena, Chiketsa Seva, Raksha Mantralaya, New Delhi during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

Resolution No. 50-PCI/707 M.S.

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by the institution/s mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in

respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of Institutions in M. S.	For admissions limited to	Approved upto academic session
1	2	3
A. S. P. M's Diploma in Pharmacy Institute, OSMANABAD	60	1990–91
A. I. T's Institute of Pharmacy MALEGAON	60	1991–92
Padmashri Dr. Vithalrao Vikhe Patil Institute of Technology and Engineering (Poly), PARVARNAGAR.	60	1991–92
Lokmanya Tilak Mahavidyalaya WANI.	60	1990–91
Institute of Diploma in Pharmacy, BORGAON.	60	1991–92
Raoji Naik Institute of Pharmacy, BIBI.	30	1989–90
College of Pharmacy, SOLAPUR.	60	1990–91

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Board of Technical examinations, M.S., Bombay during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

Resolution No. 50-PCI/708 Orissa

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by the institution/s mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of Institutions in Orissa	For admissions limited to	Approved upto academic session
1	2	3
Deptt. of Pharmacy, Seemanta Mahavidyalaya, Jharpokharia.	40	1990–91
Siddheswar College of Pharmaceutical Sciences, Amarda Road, BALASORE.	40	1990–91
College of Pharmaceutical Sciences, BERHAMPUR	60	1990–91
Kanak Manjari Institute of Pharmaceutical Sciences, ROURKELA	60	1989–90
V. S. S. Medical College, BURLA	40	1986–87 to 1989–90
College of Pharmaceutical Sciences, PURI	40	1986–87 to 1988–89
Institute of Pharmacy and Technology, SALIPUR.	40	1990–91

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Orissa State Board of Pharmacy, New Nandankanan Road, P.O. Sainik School Bhubaneshwar, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

Resolution No. 50/PCI/709 Punjab

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by the institution/s mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of Institutions in Punjab	For admissions limited to	Approved upto academic session
1	2	3
Longowal College of Pharmacy DERA BASSI	60	1986–87 to 1989–90
G. H. G. Khalsa College of Pharmacy, GURUSAR SADHAR	60	1990–91
Govt. Ranbir College, SANGRUR	40	1986–87 to 1987–88
Govt. Polytechnic for Women, JALANDHAR	30	1989–90
N. G. S. A. Govt. College, KAPURTHALA	40	1986–87 and 1987–88

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Director of Tech. Education and Industrial Training (Tech. Edu. Wing) Punjab, Chandigarh during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

Resolution No. 50-PCI/710 Punjab

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by the institution/s mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of Institution in Punjab	For admissions limited to	Approved upto academic session
S. D. College, BARNALA	60	1990–91

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Punjabi University, Patiala during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

Resolution No. 50-PCI/711 U.P.

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the

Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by the institution/s mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of Institution in Uttar Pradesh	For admissions limited to	Approved upto academic session
Govt. Polytechnic, LAKHIMPUR KHERI	40	1990-91
Janata Polytechnic, JAHANGIRABAD	40	1986-87 to 1990-91

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Board of Technical Education, U.P., Lucknow during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

Resolution No. 50-PCI/712 Pondicherry

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by the institution/s mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of Institution in Pondicherry	For admissions limited to	Approved upto academic session
Pondicherry Community Polytechnic, PONDICHERRY	40	1986-87 to 1990-91

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Board of Technical Education, Delhi Administration, Delhi during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

Resolution No. 50-PCI/713 Rajasthan

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by the institution/s mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of Institutions in Rajasthan	For admissions limited to	Approved upto academic session
Bhupal Nobles College, Department of Pharmacy, UDAIPUR.	60,	1990-91
Lachoo Memorial College of Sciences, JODHPUR.	60	1990-91

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the University of Rajasthan, Jaipur during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose or qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

Resolution No. 50-PCI/714 Tamil Nadu

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by the institution/s mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of Institutions in Tamil Nadu	For admissions limited to	Approved upto academic session
1	2	3
Periyar College of Pharmaceutical Sciences for Girls, TIRUCHIRAPALLI.	60	1990-91
Coimbatore College of Pharmacy ERODE.	40	1986-87 to 1990-91
Ultra College of Pharmacy, MADURAI.	120	1991-92
Coimbatore Medical College, COIMBATORE.	60	1991-92
K. M. R. College of Pharmacy PERUNDURAI	60 (and 60 directly in 2nd year during 1987-88 session only).	1987-88 to 1989-90
N. M. S. Pharmacy College Mathar, THIRUVATTAR (Distt. Kanya Kumari)	60	1989-90
Vinayaka Mission College of Pharmacy, SALEM.	120	1991-92
Antarctica College of Pharmacy, TIRUNELVELI.	60	1991-92
S. A. Raja Pharmacy College, VADAKANGULAM	60	1991-92

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Board of Examiners for Diploma in Pharmacy, C/o Dte. of Medical Edu., Tamil Nadu, Madras during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

Resolution No. 50-PCI/715 Gujarat

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by the institution/s mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in

respect of number of students and academic session as specified here under :

Name of Institution in Gujarat	For admissions limited to	Approved upto academic session
Bhagwanlal K. Mody Govt. Pharmacy College, RAJKOT.	30	1991-92

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree examination in Pharmacy held by the Saurashtra University, Rajkot during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

Resolution No. 50-PCI/716 Gujarat

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by the institution/s mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of Institution in Gujarat	For admissions limited to	Approved upto academic session
A. R. College of Pharmacy, Vallabh Vidyanagar.	30	1991-92

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree examination in Pharmacy held by the Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar during the session mentioned above to an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

Resolution No. 50-PCI/717 Karnataka

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by the institution/s mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of Institution in Karnataka	For admissions limited to	Approved upto academic session
Visweswarapura Institute of Pharmaceutical Sciences, BANGALORE.	40	1984-85 to 1990-91

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree examination in Pharmacy held by the Bangalore University, Bangalore during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

Resolution No. 50-PCI/718 M.S.

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by the institution/s mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

Name of Institution in M. S.	For admissions limited to	Approved upto academic session
Bombay College of Pharmacy, Kalina, BOMBAY.	60	1992-92
Deptt. of Chemical Technology University of Bombay, Matunga, BOMBAY.	20	1991-92

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree examination in Pharmacy held by the University of Bombay, Bombay during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

Resolution No. 50-PCI/719 T.N.

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by the institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of Institution in Tamil Nadu	For admissions limited to	Approved upto academic session
J. S. S. College of Pharmacy, OOTACAMUND.	50,	1991-92

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree examination in Pharmacy held by the Dr. M. G. R. Medical University, Madras during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act.

Resolution No. 50-PCI/720 T.N.

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by the institution/s mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of Institution in Tamil Nadu	For admissions limited to	Approved upto academic session
University Institute of Pharmaceutical Technology, ANNAMALAI NAGAR	60	1991-92

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree examination in Pharmacy held by the Annamalai University, Annamalai Nagar during the session mentioned above to be an approved

examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

DEVINDER K. JAIN
Secretary-cum-Registrar
Pharmacy Council of India

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi, the 7th July 1990

No. 2/1959/DLI/Exemn/89-Pt.I/3559.—WHEREAS M/s. Cadila Chemicals Pvt. Ltd. 291, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar-393002. Dist. Bharuch (Cd. GJ/3993) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. S.-35014 (256) 85-SS-IV Dated 25-11-85 and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period with effect from 25-11-88 to 28-2-90 upto and inclusive of the 28-2-90.

SCHEDULE

1. The employer in relation of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/3549.—WHEREAS M/s. Pure Drinks (New Delhi) Mohan Singh Building, Connaught Lane, New Delhi-1 (Cd. DL/1091) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. S. 35014/(3)84-PF.II dated 29-4-87 and subject to the conditions specified in Scheduled annexed hereto, I. B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period with effect from 11-2-90 to 28-2-90 upto and inclusive of the 28-2-90.

SCHEDULE

1. The employer in relation of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts,

submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/3544.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act);

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments with retrospective effect from the date mentioned as per Schedule I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by R.P.F.C. Madhya Pradesh from the operation of the said scheme for and upto a period of 28-2-90.

SCHEDULE — I

Region : MADHYA PRADESH

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C's File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	M/s. Gwalior Oil Mills, 37, Shilnath Camp, INDORE (M.P)	MP/1327	1-1-89	
2.	M/s. Premier Brass and Metal Works (P) Ltd., 8, Industrial Estate, Govindpura, Bhopal BHOPAL - 462023 (Madhya Pradesh)	MP/1516	1-12-87	
3.	M/s. Jamsons Laboratories, 43, Industrial Estate, INDORE-3 (MP)	MP/1537	1-10-88	
4.	M/s. Deora P. V. Cabncon Manufacturing Co. Private Limited, 17-18, Pologround, INDORE (MP)	MP/1649	1-1-89	
5.	M/s. Madhya Pradesh Electricals Ltd., 'D' Sector, Industrial Area, Govindpura, BHOPAL (MP) - 462023	MP/1702	1-3-1988	
6.	M/s. Bhond Sahakari Bheolvi Vikas Bank Mydt., Housing Colony, Bhind-477001.	MP/1855	1-8-88	
7.	M/s. Sahakar Karya Sanstha Shikshan Vibhag MP Mydt. 89, Nagar Nigam Road INDORE-452002.	MP/4744	1-7-88	
8.	M/s. Shupuri Guna Kshetraya Gramin Bank 136, Arya Samaj Road- SHAHPURI (MP)	MP/4945	1-3-88	
9.	M/s. Rajgarh Kshetriya Gramin Bank Station Road. RAIGARH (MP)	MP/4976	1-4-88	
10.	M/s. Jyoti Engrs. E/32, Industrial Area Govindpura BHOPAL (M.P.)	MP/5077	1-3-88	
11.	M/s. Satyam Industries E/39, Industrial Area Govindpura BHOPAL (MP).	MP/5113	1-3-88	
12.	M/s. Hindustan Motors Ltd. 4/A, Ratlam Kothi A-B Road Indore (Madhya Pradesh)	MP/5814	1-8-88	

SCHEDULE-II

1. The employer in relation of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establiishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/3554.—WHEREAS N.G.E.F. Ltd. Bank of Baroda Building, 5th Floor, 16 Parliament Street, New Delhi-1 Code No. DL/4519 have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Povident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. S. 35014/276/83/P.F.II(SS.II) dated 24-3-87 and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto. I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 24-12-89 to 28-2-90 upto and inclusive of the 28-2-90.

SCHEDULE

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption ,shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.-1/3579.—WHEREAS, Harihar Polifibers, Kumarapatnam, Dharwar District, 581128 (Code No. 5334) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour Notification No. s. 36014/(160)85-SS.IV dated 10-6-85 and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period with effect from 10-6-88 to 28-2-90 upto and inclusive of 28-2-90.

SCHEDULE

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption ,shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.-1/3584.—WHEREAS M/s. Central Electronics Ltd. N. P. Campus Hill Side Road, New Delhi-12, (Code No. DL/3687/DLI) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour Notification No. S. 35014(60)84-PPG, dated 11-7-84 and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period with effect from 11-7-87 to 28-2 90 upto and inclusive of the 28-2-90.

SCHEDULE

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.-I/3574.—WHEREAS M/s. Gyan Singh, Contractor, Vaishali Nagar, Private Quarters, Bhilai (M.P.) (Code No./2113) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. S. 35014/229/85/SS.IV dated 8-11-85 and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period from 8-11-88 to 28-2-90 upto and inclusive of the 28-2-90.

SCHEDULE

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may ,from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, nad the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.-I/3672.—WHEREAS M/s. Agarwal Industries, Jodhpur, Rajasthan, (Code No. 4095/RJ) have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect 1-12-88 from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner RJ from the operation of the said Scheme for and upto a period of 28-2-90.

SCHEDULE

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the sallent features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits avialable to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1950/DLI/Exemp/89/Pt.-I/3677.--WHEREAS M/s. C.M.C. (India) Pvt. Ltd., Odhav Road, Ahmedabad, 382415 (Code No. GJ/3601-A.) have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, I. B. N. Som, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Gujarat from the operation of the said Scheme for and upto a period of 1-3-88 to 28-2-90.

SCHEDULE

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may ,from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in

his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits avialable to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the payment of premium the responsibility for payment of assu- Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

New Delhi-110001, the 13th July 1990

No. 2/1959/D.L.I./Exem/89/Pt. I/3693.—Whereas M/s. Glindia Ltd. 50, Hide Road, Calcutta-700088 (conde No. WB/1860) (Formally know as Glaxo Laboratories, India Ltd. have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. S-36014/252/83. PF. II/SS. II/ Dated 29-1 87 and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto. I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 24-12-89 to 28-2-90 upto and inclusive of the 28-2-90.

SCHEDULE

1. The employer in relation of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The empolyer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I/3683.—WHEREAS M/s. The Commercial Rice Mills Trichur, Kerala (bearing Code No. KR/790 & 790A) have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of Premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred as the said Scheme):

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect 1-3-88 from which date relaxation order under para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Kerala from the operation of the said Scheme for and upto 28-2-90.

SCHEDULE

1. The employer in relation of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The empolyer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) or the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be canceled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exm/89/Pt. I/3688.—WHEREAS M/s. The Indian Sugar & General Engineering Corporation, Prop. The Saraswati Industrial Syndicate Ltd., P. O. Yamuna Nagar, Railaway Station Jagadhari (Distt. Ambala, PN/161) have applied for exemption under sub-Section 2 (A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of Premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred as the said Scheme):

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, I, B. N. Som hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Haryana from the operation of the said Scheme for and upto a period of three years with effect from 1-11-1896 to 31-10-89.

SCHEDULE

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The empolyer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1990